Mr. Deputy-Speaker: This debate will be carried over to the next Session.

14.33 hrs.

OLD AGE PENSION BILL*

by Shri Aurobindo Ghosal

Shri Aurobindo Ghosal (Uluberia): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the payment of pension to the aged and disabled citizens of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the payment of pension to the aged and disabled citizens of India".

The motion was adopted.

Shri Aurobindo Ghosal: I introduce the Bill.

14.34 hrs.

ALL INDIA DOMESTIC SERVANTS BILL—*contd.*

by Shri Balmiki

Mr. Deputy-Speaker: The House will resume further consideration of the following motion moved by Shri Balmiki on the 22nd April, 1961:—

> "That the Bill to provide for the registration of domestic servants and to regulate their hours of work, payment of wages, leave and holidays be taken into consideration".

Out of 2½ hours allotted for discussion of the Bill, 5 minutes were taken on the 22nd April, 1961, and 2 hours and 25 minutes are now available.

Shri Balmiki may now continue his speech.

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, २२ अप्रैल सन् १९६१ को मैंने सदन के सम्मुख अपना आल इंडिया घरेलू कर्मचारी बिल पेश करते हुए इस बात की आवश्यकता बतलाई थी कि घरेलू कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाय, उनके काम के घंटे रैगुलेट किये जायें, उनके लिए उचित पारिश्रमिक दिलवाने की व्यवस्था की जाय । इसके साथ ही उनके काम की शर्तों और छुट्टी आदि को रैगुलेट किया जाय मैं जब उस दिन इस बिल पर बोल रहा था तो मैं ने कहा था कि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक मनुष्य को समान दृष्टि से समान स्तर पर लाने के प्रयत्न हो रहे हैं । छोटे से छोटे मनुष्य को चाहे वह किसी भी प्रकार का मजदूर है या घरेलू मजदूर है उसे ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिएं जिससे वह महसूस कर सके कि वह भी एक मनुष्य है और उस प्रकार का मानवोचित व्यवहार चाहता है । केवल वेतन आदि तथा दूसरी सुविधाएं लेकर ही नहीं बल्कि इस प्रकार का अवसर भी उसे सुलभ होना चाहिए जिससे कि वह उस हीन जीवन से उठ कर एक ऐसा जीवन प्राप्त कर सके जहां उन्नति के अवसर हों । इसके लिए समाज की व्यवस्था तथा वातावरण को बदलने की आवश्यकता है । आज की समाज की व्यवस्था में जो एक दोष नजर आता है वह दोष यह है कि जो मनुष्य छोटा है वह छोटा ही बना रहता है और जो जन्म-जन्मान्तर से बड़ा है उसे उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहेंगे और नतीजा यह होता है कि वह निरन्तर उन्नति-पथ पर अग्रसर होता रहता है ।

आज मजदूरों के कल्याण के लिए आपकी ओर से काफी प्रयत्न चल रहे हैं किन्तु घरेलू मजदूर उन से वंचित हैं । आज जब कि प्रजातांत्रिक परम्परायें देश में पनप रही हैं तथा मनुष्य का महत्व बढ़ रहा है तब घरेलू मजदूर या इस प्रकार के मजदूर जीवन भर एक रट में फंसे रह और उन्हें सामाजिक न्याय भी न मिले यह कहां तक न्याय-संगत है ? घरेलू मजदूरों के अलावा हमारे वे अभागे व्यक्ति जो कि बड़ी बड़ी जायदाद वाले मालिकों के यहां

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated the 5th May, 1961.